झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 12.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री शिवशंकर उराँव, ताला मराण्डी एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत राज्य के सड़कों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार राशि उपलब्ध कराती है। उक्त योजना के तहत गुमला जिला में कुल 137 सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण हेतु एन0पी0सी0सी0 तथा एन0बी0सी0सी0 को संवेदक के रूप में चयनित किया गया है। उक्त दोनों ही फर्म द्वारा स्वयं कार्य नहीं कराकर पेटी-कॉन्ट्रक्टर के माध्यम से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि में सभी सड़कों का निविदा संवेदकों के साथ एम0ओ0यू0 एवं कार्यादेश भी हो चुका है। परन्तु जिले की कई सड़कें जैसे, 1- गुमला सदर प्रखंड में कोटाम से किता 2- रायडीह प्रखंड में कांसीर से नीचडुमरी, 3- बिरकेरा से शंख नदी तक, 4- डुमरी प्रखंड में आर0ई0ओ0 रोड से डहकुल, 5- चैनपुर प्रखंड में बी0पी0डी0पी0 रोड से सोकराहातू पार्ट-बी0, 6- टोंगो से चित्तरपुर सहित जिले की 137 सड़कों के निर्माण कार्य शत्-प्रतिशत अथवा 80 प्रतिशत पूर्ण दिखाकर राशि की निकासी और 3496.70 लाख रूपैये का भुगतान किया गया है,	ग्रामीण कार्य

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		जबकि, वास्तव में 80 प्रतिशत सड़कों में निर्माण कार्य औसत 20 प्रतिशत ही हुआ है। इस प्रकार जिले में उक्त सड़कों के निर्माण में कुल 10539.28 लाख रूपैये की योजनाओं के क्रियान्वयन में वृहत पैमाने पर अनियमितता की जा रही है। सड़कों का निर्माण पूरा करने की अवधि भी समाप्त हो चुका। अतएव जिले की उक्त सड़कों के निर्माण कार्य की जाँच कराकर निर्माण कार्य पूरा कराने एवं दोषी लोगों पर कार्रवाई हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02-	सर्वश्री अरूप चटर्जी,राजकुमार यादव एवं श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता स0वि0स0	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल सं0-1, धनबाद के वर्त्तमान कार्यपालक अभियंता (श्री संजय कुमार) से वर्ष- 2014-15 की विधायक मद तहत् लगभग 40 लाख रूपयों की पेयजलापूर्ती योजना कार्य निविदा कर कराया गया परन्तु कार्य के पश्चात् उक्त कार्य राशि उचित संवेदकों को भुगतान न कर इनके द्वारा अन्य योजनाओं में हस्तानांतरित कर दिया गया हैं। ज्ञात हो इनके द्वारा राँची में अपने पदस्थापन अवधि के दौरान अपने पत्नी के नाम से ही एक NGO बनाकर 3 करोड़ रूपयों की गबन का मामला अभी भी निगराणी जाँच के दायरे में है। अतः उक्त अभियंता के कार्यकलापों का जाँच कराते हुए अविलम्ब विधिसंमत कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
03-	श्री रवीन्द्र नाथ महतो एवं श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन स0वि0स0	बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष-1994 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक स्तरीय परीक्षा के सफल अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से मैट्रीक प्रशिक्षित वेतनमान- (ग्रेड-1) देने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P. (S) NO-638/2006 में दिनांक- 04.04.2008 एल0पी0ए0 संख्या-214/2008, 295/2008 तथा 319/2008 में दिनांक- 06.11.2012 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या-5520-5522/2013 में दिनांक- 08.03.2013 को पारित आदेश के आलोक में श्री अरूण सिन्हा एवं अन्य शिक्षकों को जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के ज्ञापांक- 1413, दिनांक- 10.04.2013 द्वारा नियुक्ति की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान,	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		ग्रेड-1 तथा 12 वर्षो की सेवा में उपरांत ग्रेड-2 का वेतनमान दिया गया, परन्तु राज्य के अन्य शिक्षकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। जबकि वित्त विभाग एवं विधि विभाग ने भी इसकी सहमति वर्ष 2013 में ही दे दी है। मानव संसाधन विकास विभाग के ज्ञापांक- 2475, दिनांक-18.12.2013 एवं 2476, दिनांक- 18.12.2013 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अतः माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में राज्य के शेष बचे प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान- (ग्रेड-1) तथा 12 वर्षो की सेवा के उपरांत वरीय वेतनमान (ग्रेड-2) देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04.	श्री दशरथ गागराई एवं श्री अमित कुमार स0वि0स0	मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक- 898, दिनांक- 27.08.2010 के क्रम में राँची विश्वविद्यालय के पत्रांक- बी/961/10, दिनांक- 24.11.2010 द्वारा दिये निर्देश के आलोक में मारवाड़ी महाविद्यालय में इण्टर एवं डिग्री स्तर की पढ़ाई पूर्णरुपेन प्रभाजित कर दी गयी है। वर्ष 2009 से आजतक 5000 छात्र/छात्राएं प्रतिवर्ष JAC द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होते आ रहे हैं। यहाँ के शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व जैक अध्यक्ष श्री शालीग्राम यादव के द्वारा किया गया फिर भी यहाँ मारवाड़ी इण्टर कॉलेज के शिक्षकों को सरकार द्वारा अनुदान/वेतनानुदान नहीं दिया जाना गंभीर विषय प्रतीत होता है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सरकार के आदेश के आलोक में डिग्री एवं इण्टरमीडिएट की पढ़ाई पूर्णरुपेण प्रभाजित करने एवं पूर्व जैक अध्यक्ष द्वारा की गयी नियुक्ति के बावजूद शिक्षकों को भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतएव इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	मानव संसाधन विकास
5.	श्री नवीन जयसवाल स0वि0स0	राँची अन्तर्गत कमडे, सुण्डील, फुटकलटोली, और सिमलिया पंचायत कांके प्रखण्ड में है, जबकि उक्त पंचायतो का रातु प्रखण्ड से दूरी मात्र 3 कि0मी0 एवं कांके प्रखण्ड मुख्यालय की दूरी लगभग 20 कि0मी0 से अधिक है।	ग्रामीण विकास

(कृ0पृ030)

01.	02.	03.	04.
		इससे ग्रामीणों को काफी कठिनाईयाँ होती है। अतः जनहित में उपरोक्त चारों पंचायतों को रातु प्रखण्ड में शामिल करने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहेगें।	

राँची
दिनांक- 12 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-....1097..../वि0 स0, राँची, दिनांक- 11/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ग्रामीण कार्य विभाग/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-....1097..../वि0 स0, राँची, दिनांक- 11/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

11/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

11/03/15

सुभाष